

क्रम-संख्या—47 (क)



रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०-11/लाई०-

न्यूज पेपर/91/05-06

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 23 फरवरी, 2006  
फाल्गुन 4, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
खाद्य एवं रसद अनुभाग-8

संख्या मु०स० 11/29-8-2006-सीपी 41/90  
लखनऊ, 23 फरवरी, 2006

### अधिसूचना

प०आ०-160

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) नियमावली, 2006

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) नियमावली, 2006 कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में नियम 2-क के उपनियम (1) के खण्ड (एक) में, विद्यमान उपखण्ड (म) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात्-

नियम 2-क का  
संशोधन

(य)	सरकार के सूचना विभाग में, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव	सदस्य
(य-एक)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डिवेलपमेण्टसिस्टम कार्पोरेशन	सदस्य
(य-दो)	नगर निगम, लखनऊ के दो अधिकारी, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य
(य-तीन)	दस से अनधिक ऐसे अन्य सरकारी या गैर सरकारी सदस्य जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाय	सदस्य

आज्ञा से,  
सुधीर कुमार,  
प्रमुख सचिव ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. M. S. 11/XXIX-8-2006-C. P. 41/90, dated February 23, 2006:

No. M. S. 11/XXIX-8-2006-C .P. 41/90

*Dated Lucknow, February 23, 2006*

IN exercise of powers under sub- section (2) of section 30 of the Consumers Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection Rule, 1987.

### **The Uttar Pradesh Consumer Protection (Ninth Amendment) Rules, 2006**

Short title and commencement	1 (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Ninth Amendments) Rules, 2006	
	(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the <i>Gazette</i> .	
Amendment of rule 2-A	2. In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987, in rule 2 A in sub-rule (1), in clause (i), after existing sub-clause (y) the following sub-clauses shall be inserted, namely:-	
	(z) Principal Secretary or Secretary as the case may be, to the Government in the Information Department	--- Member
	(z-i) Managing Director, Uttar Pradesh Development System Corporation	--- Member
	(z-ii) Two officers from Nagar Nigam, Lucknow to be nominated by the Chairman	--- Member
	(z-iii) Such number of other official or non official Members, not exceeding ten as may be nominated by the Central Government	--- Members

By Order,  
SUDHIR KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*